



**क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पिकप भवन ब्लाक-बी, चतुर्थ तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ-226010**

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत लोक सुनवाई हेतु आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नैसर्ग गुलरिया चीनी मिल (ए यूनिट आफ बलरामपुर चीनी मिल लि०) ग्राम-रुद्रपुर, गुलरिया पो०-नौसार गुलरिया, ब्लाक बिजुआ तह०-गोला गोकर्णनाथ जिला-लखीमपुरखीरी में लीप आधारित आसवनी इकाई क्षमता 160 के०एल०डी० तथा सहजर्जा पावर प्लांट 8.0 मेगावाट की स्थापना हेतु प्रस्ताव राज्य बोर्ड को प्राप्त हुआ है। आसवनी इकाई को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की ई.आई.ए. अधिसूचना सं० एच.ओ.1533 दिनांक 14.09.2006 Schedule (See Paragraph 2 and 7) के Project or Activity के 5 (g) के प्राविधानों के अंतर्गत आच्छादित है। उक्त प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने से पूर्व लोक सुनवाई की सूचना जारी किया जाना आवश्यक है तथा इस हेतु उक्त सूचना के अंतर्गत 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई तिथि-20.01.2019 पर्यावरणीय अधिसूचना संख्या-1533 दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार होगी। परियोजना से सम्बन्धित संश्लिष्ट अभिलेख निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है।

- 1- जिलाधिकारी, लखीमपुरखीरी।
- 2- अपर मुख्य अधिकारी, कार्यालय जिला पंचायत लखीमपुरखीरी।
- 3- उपर्युक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, लखीमपुरखीरी।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- 5- उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 6- क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बी-ब्लॉक, चतुर्थ तल, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

अतः सर्व साधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी प्रकरण के निस्तारण के लिए लोक सुनवाई हेतु जिलाधिकारी, लखीमपुरखीरी की अध्यक्षता में दिनांक-22.02.2019 को समय अपराह्न 1.00, परियोजना स्थल गुलरिया चीनी मिल (ए यूनिट आफ बलरामपुर चीनी मिल लि०) ग्राम-रुद्रपुर, गुलरिया पो०-नौसार गुलरिया, ब्लाक बिजुआ तह०-गोला गोकर्णनाथ जिला-लखीमपुरखीरी परिसर में नियत की गयी है। इस सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति लोक सुनवाई में उपस्थित होकर पर्यावरणीय विषयक पर कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा इस सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति, सुझाव, टीका-टिप्पणी आदि है तो लिखित रूप से भी उपरोक्त कार्यालयों में किसी भी कार्य दिवस में प्रकाशन तिथि से 30 दिवस के अन्दर तक आवृत्ति दाखिल कर सकते हैं।

The Times of India 20.01.19 क्षेत्रीय अधिकारी
Times of India: 20.01.2019